राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/ पदस्थापन हेतुआनलाइन आवेदन प्रणाली

(i) आनलाइन नियुक्ति/पदस्थापन हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:-

1- केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु विज्ञापन संख्या- A-1/E-1/2018 दिनांक 15-03-2018 द्वारा लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज के माध्यम से चयनित हैं। आवेदक जिस विषय हेतु चयनित है, वह उसी विषय के लिए आवेदन कर सकता है।

2- आवेदन पत्र पूर्ण करके स्वयं समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन लॉक/फाइनल सबमिट करें। यदि उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/ असत्य/भ्रामक/कूट रचित होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायी स्वयं अभ्यर्थी होगा।

3- लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर अपना आनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया किसी साइबर कैफे के माध्यम से की जा रही है तो समस्त प्रक्रिया अपनी उपस्थिति में ही सम्पन्न करायें और आवेदन/विकल्पों के चयन का प्रिन्ट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।

4- अभ्यर्थी द्वारा लोक सेवा आयोग में आवेदन करते समय जिस मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 का प्रयोग किया था, वही मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 का आनलाइन नियुक्ति/पदस्थापन प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा।

5-अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट क्लिक करेगा जिससे वेबसाइट खुलेगी वेबसाइट पर जनपदवार/विद्यालयवार/विषयवार रिक्तियाँ उपलब्ध रहेंगी।।

6-उक्त वेबसाइट खुलने पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आनलाइन आवेदन प्रणाली प्रदर्शित होगी।

7-आवेदक द्वारा उक्त पेज खोलने के पश्चात्, "New Registration" विकल्प का चयन करेंगे, जिसमें उनको लागिन आई0डी0 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा का अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि

अंकित करनी होगी। इसके पश्चात उनके मोबाइल नंबर/ई-मेल पर ओ0टी0पी0 का संदेश जाएगा जिसे अंकित कर नये अभ्यर्थी लागिन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

8-उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात कम्प्यूटर में लागिन पासवर्ड परिवर्तन का विकल्प प्रदर्शित होगा, अभ्यर्थी को दिये गये निर्देशानुसार पासवर्ड परिवर्तन करना अनिवार्य होगा। भविष्य में लागिन करते समय अभ्यर्थी को नवीन पासवर्ड का प्रयोग करना होगा।

9-क्रम 8 की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूर्ण करेंगे अथवा भविष्य में "Registered User Sign In" का विकल्प चयन करेंगे तथा अपना आनलाइन पदस्थापन हेतु आवेदन पत्र पूर्ण करेंगे।

10-आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, विषय का नाम (जिसमें उसका चयन हुआ है) आदि सूचनाएं अभ्यर्थी द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दी गयी सूचनानुसार कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी।

11- लोक सेवा आयोग से चयनित सूची के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की वरीयता दी जाएगी। वह क्रम संख्या 12 में दिये गये वरीयता क्रम के अन्य विकल्पों का चयन नही कर सकते हैं। दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्सा आधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र नहीं लगाया /अपलोड नहीं किया गया अथवा प्रमाण-पत्र फर्जी/कूट रचित लगाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र jpg/jpeg format में (जिसका साइज 300 kb से अधिक न हो) वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।

12- आवेदन पत्र में दिये गये वरीयता क्रम के निम्नलिखित विकल्पों में से चयनित अभ्यर्थी एक ही विकल्प का चयन कर सकता हैः-

(i) चयनित विवाहित महिला जिनका बच्चा ऑटिस्टिक (Autistic) है अथवा 40 प्रतिशत दिव्यांगता है। (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(ii) चयनित अभ्यर्थी जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों:- जैसे CRPF, ITBP तथा BSF में कार्यरत हैं। (कार्यरत विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(iii) चयनित विधवा महिला/विधुर पुरूष जिन्होने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा एकल अभिभावक (Single Parent) हैं, तथा जिनके ऊपर बच्चो की देखभाल की जिम्मेदारी है। (मृतक पति/पत्नी का नगर निगम/नगर पालिका/ब्लाक द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र एवं कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

(iv) चयनित अभ्यर्थी जिनके पति/पत्नी बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं राजकीय (Government)/अर्द्धशासकीय (Semi Government) सेवा में कार्यरत हैं। (कार्यरत विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र तथा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

चयनित अभ्यर्थी यदि किसी विकल्प का चयन करता है, तो उसे साक्ष्य हेतु विकल्प के सम्मुख दिये गये निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की एक पीडीएफ फाइल बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पीडीएफ फाइल का साइज 4 एम0बी0 से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र नहीं लगाया जाता या उसके द्वारा लगाया गया प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा अमान्य होता है, तो उसे कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी। वरीयता कोटिक्रम के अनुसार पदस्थापन करने के उपरान्त शेष रिक्तियों पर अन्य बचे हुये अभ्यर्थियों का पदस्थापन लोक सेवा आयोग की मेरिट के अनुसार किया जायेगा।

13-अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शित रिक्ति पद वाले विद्यालयों में से वरीयता क्रम में समस्त विद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शित समस्त रिक्तियों का चयन नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

14- अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर वरीयता क्रम में विकल्प चुनने पर लॉक/फाइनल सबमिट से पूर्व चुने गये विकल्प डिलीट करने का, विकल्प का क्रम आपस में बदलने का एवं चुने गये विकल्पों को देखने का आप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

15-आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी समस्त प्रविष्टियों को पुनः एक बार भली भांति जांच कर ही लॉक/फाइनल सबमिट करेगा। लॉक/फाइनल सबमिट करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो पायेगा तथा विकल्पों को बदलने/निरस्त करने/संशोधन करने सम्बन्धी कोई भी आवेदन/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

16- आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी समस्त प्रविष्टियों को पुनः एक बार भली भांति जांच लें। आवेदक द्वारा यदि कोई भी प्रविष्टि गलत/भ्रामक/असत्य/ त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है तो विभाग का यह अधिकार होगा कि वह उसका आवेदन निरस्त कर दे एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुत कर दे। अतः अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली भांति जांचने के पश्चात ही अपने आवेदन पत्र को लॉक/फाइनल सबमिट करें।

17- विद्यालयों के विकल्पों के चयन के उपरान्त विकल्पों को लॉक करना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों को लॉक नहीं किया जाता है तो वह आनलाइन नियुक्ति/पदस्थापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पायेगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। विकल्पों को लॉक/फाइनल सबमिट करते समय उसी पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा जो अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय बनाया गया था।

18- अभ्यर्थी आवेदन पत्र लॉक/फाइनल सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखेगा।

19- NIC द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् आनलाइन नियुक्ति पत्र/पदस्थापन से सम्बन्धित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट में Posting Order विकल्प का चयन करने के उपरान्त लागिन कर अपना नियुक्ति पत्र/पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर निकाल सकता है।

20- नियुक्ति/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी जिस जनपद में उसका पदस्थापन हुआ है उस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र एवं समस्त वांछित अभिलेखों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होगा।

21- अभ्यर्थी अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए मोबाइल नंबर 6387219859 (प्रातः 10.00 से 05.00 बजे तक) एवं ई-मेल seceduonlineposting@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। विकल्पों को लाक करने के उपरान्त कोई भी अभ्यर्थी विकल्पों के सम्बन्ध में ई-मेल या मोबाइल पर सम्पर्क नहीं करेगा।